न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

REPORT

ON

OBSERVANCE OF NATIONAL YOUTH DAY

AND

ORGANISATION OF AWARENESS ACTIVITIES

UNDER THE NALSA

(DAWN – Drug Awareness and Wellness Navigation –

For a Drug-Free India) SCHEME

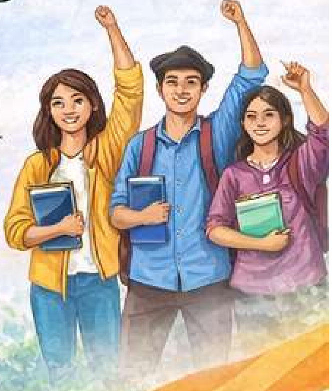

FOR THE PERIOD FROM

5th TO 12th JANUARY, 2026

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR

सशक्त युवा, स्वस्थ भारत

OBSERVANCE OF NATIONAL YOUTH DAY

Awareness Activities under the DAWN Scheme for the period of 5th – 12th January 2026

As per the directions issued by the National Legal Services Authority, New Delhi**,** awareness activities were undertaken in accordance with the relevant NALSA Schemes for the observance of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. In pursuance of the said directions, necessary instructions were issued by the State Legal Services Authority to all District Legal Services Authorities for compliance and implementation of the activities as prescribed.

In continuation thereof, all District Legal Services Authorities were directed to take appropriate action and to organize awareness programmes/campaigns in their respective jurisdictions in accordance with the instructions issued by NALSA, New Delhi. The directions also emphasized implementation of activities under the ***NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015***, the ***NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015***, and other relevant guidelines issued from time to time.

Pursuant to the directions so issued, the District Legal Services Authorities organized awareness campaigns at the district level. The activities included organization of awareness programmes, outreach initiatives, interaction sessions, and other sensitization activities aimed at spreading awareness regarding drug abuse, de-addiction, rehabilitation, and related social issues, in conformity with the directions issued by NALSA, New Delhi.

During the observance of National Youth Day and the organisation of awareness activities under the DAWN Scheme for the period from 5th to 12th January, 2026, awareness programmes were conducted across 51 districts. A total of 190 youth-focused sensitisation sessions were organized in educational institutions. In addition thereto, 02 rallies, 03 marathons, 17 debate competitions, 19 essay competitions, and 12 street plays were conducted at various locations. Through these activities, a total of 21,331 beneficiaries were covered across the State. The programmes were carried out with active participation of youth and stakeholders, thereby effectively fulfilling the objectives of awareness, sensitisation, and community engagement as envisaged under the DAWN Scheme.

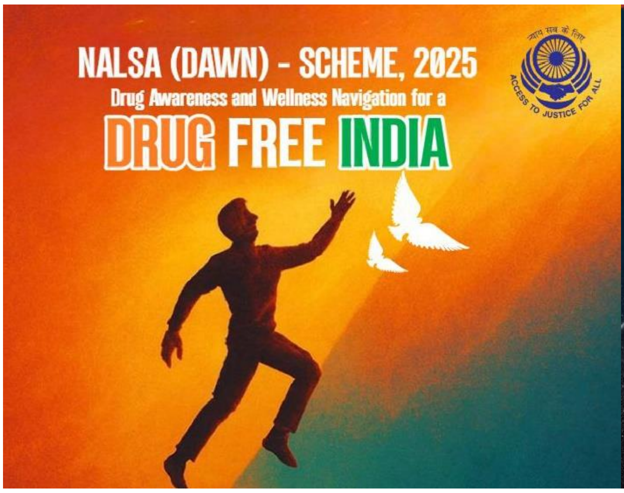

HIGHLIGHTS OF THE CAMPAIGN ACTIVITIES

Awareness Camps Conducted in Jail Premises

Yoga and Wellness Awareness Camps

Painting and Essay Competitions for Youth Sensitisation

School-based Awareness Programmes

Outreach Programmes for Rural Communities

Student-oriented Awareness and Sensitisation Activities

Awareness and Sensitisation Camp at De-addiction Centre

Youth-focused Sensitisation Activities

MEDIA COVERAGE OF THE CAMPAIGN

स्वदेश
भोपाल - संभाग
10 Jan 2026 | Page - 10

बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून की जानकारी बताई

■ हाईस्कूल देवपुर में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित

स्वदेश संवाददाता ■ सिरोंज

देवपुर शासकीय हाई स्कूल में शुक्रवार को विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। सिरोंज न्यायालय के न्यायाधीश मोना शुक्ला पांडेय एवं न्यायाधीश सुश्री अंकिता जैन द्वारा बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाव एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून की जानकारी प्रदान की गयी। वाल संरक्षण कानून अंतर्गत बच्चों के जिज्ञासु प्रश्नों का समाधान किया गया। वहीं पैरालीगल वालंटियर राधा चरण जोशी एवं सोनू यादव द्वारा छात्र-छात्राओं को विधि संबंधी जानकारी देते हुए युवा दिवस सप्ताह के तहत नशे से दूरी एवं पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताए गए। शिविर में छात्र छात्राएं, पालक गण, विद्यालय परिवार , आंगनवाड़ी कार्यकर्तागण समेत ग्रामवासी उपस्थित थे।

6 दैनिक चिरंतन, उज्जैन आगर जिला एवं तहसील

राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर संपन्न

आगर मालवा/नलखेड़ा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष में युवा विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है जिला आगर मालवा में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री डीएस चौहान के मार्गदर्शन में एवं श्रीमती अश्वनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा के नेतृत्व में राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 7 जनवरी 2026 को पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास आगर मालवा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया उक्त शिविर में श्रीमती अश्विनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्री हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने सहभागिता की। श्रीमती अश्विनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने युवाओं को नसे से दूर रहने तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने हेतु प्रेरित किया श्री हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सफलता का मूल मंत्र है निरंतर परिश्रम करना यदि किसी कार्य को निरंतर किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है युवा अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करें नालसा डी ए डब्ल्यू एन योजना के अंतर्गत नशा पीड़ितों को विधिक सेवा की सुविधा एवं पुनर्वास के प्रावधानों की जानकारी दी गई इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी ने भी नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं एवं विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु निशुल्क टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी। इस अवसर पर पैरा लीगल वालेंटियर्स डॉ जगदीश मालवीय एवं अधीक्षक छात्रावास सहित छात्र उपस्थित रहे।

शिविर — ग्राम पंचायत मोहनपुरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

नशा आज समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है: सुनहरे

● झाबुआ / राज न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी-2026 के अवसर पर नालसा डॉन योजना के अंतर्गत 05 जनवरी से 12 जनवरी-2026 तक साप्ताहिक जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 09 जनवरी-2026 को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमती विधि सक्सेना के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में ग्राम पंचायत मोहनपुरा झाबुआ में द्वितीय जिला न्यायाधीश श्रीमान सुभाष सुनहरे की अध्यक्षता एवं जिविसेप्रा के सचिव श्री शिव कुमार डावर, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक की उपस्थिति

में नालसा (डॉन-ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन - फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया) योजना-2025 के अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुये द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री सुभाष सुनहरे ने कहा कि नशा आज समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की शांति और सामाजिक व्यवस्था को भीतर से कमजोर कर रहा है। न्यायाधीश ने बताया कि नालसा की इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाना, विशेषकर युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा नशे से प्रभावित व्यक्तियों को कानूनी सहायता, परामर्श एवं पुनर्वास से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्तिगत बुराई नहीं, बल्कि यह अपराध, घरेलू हिंसा, आर्थिक संकट और पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों के सेवन, खरीद-बिक्री एवं तस्करी से संबंधित अपराधों पर एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके विरुद्ध जागरूक करें। शिविर में महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए जिविसेप्रा झाबुआ के सचिव श्री शिव कुमार डावर ने कहा कि नशे का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा बनाए रखने हेतु घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम सहित अनेक कानून प्रभावी रूप से लागू हैं उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध निर्भीक होकर कानून का सहारा लेने का आह्वान किया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदेव माणिक ने नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता, मध्यस्थता लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना आदि की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के पेम्पलेट वितरित किये गये। उक्त शिविर में ब्लॉक समन्वयक मानसिंह बारिया, ग्राम सरपंच, सचिव तड़वी एवं बड़ी संख्या में महिला पुरूष उपस्थित रहें।

आज के युवाओं के कंधों पर ही एक न्यायपूर्ण और अपराधमुक्त भारत के निर्माण का गुरुत्तर उत्तरदायित्व :न्यायाधीश सुश्री सृष्टि

दिया।उन्होंने स्वामी विवेकानंद के 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको' के अमर संदेश को आधुनिक विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ जोड़ते हुए यह प्रतिपादित किया कि आज के युवाओं के कंधों पर ही एक न्यायपूर्ण और अपराधमुक्त भारत के निर्माण का गुरुत्तर उत्तरदायित्व है।

इसी वैचारिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधि सहायता अधिकारी बृजेश पटेल ने अत्यंत सूक्ष्मता एवं तकनीकी स्पष्टता के साथ विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के मौलिक ढाँचे, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, साइबर अपराधों की वैश्विक चुनौतियों से सुरक्षा के उपाय और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से जुड़े विधिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से अवगत कराया।जिससे विद्यार्थी न केवल जागरूक हुए अपितु उनमें कानून के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का संचार हुआ।बैठल हाई स्कूल के प्राचार्य एवं प्रबंधन समिति के अटूट सहयोग से मूर्त रूप लेने वाले इस कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त विद्वान शिक्षक वृंद एवं बड़ी संख्या में जिज्ञासु विद्यार्थियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।जहाँ ज्ञानार्जन के इस सत्र ने युवाओं को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि कानून का ज्ञान ही वास्तव में शक्ति का वह स्रोत है जो उन्हें शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और समाज के अंतिम पंक्तिके व्यक्तितक न्याय पहुँचाने में सहायक सिद्ध होता है।कार्यक्रम के समापन तक संपूर्ण परिसर विधिक चेतना की लहर से सराबोर रहा और यह स्पष्ट संदेश प्रेषित हुआ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर,माया विश्व लाल के नेतृत्व में, समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर युवा वर्ग को सशक्तबनाने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है।जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में एक सजग,सुशिक्षित और कानून सम्मत समाज के रूप में परिलक्षित होंगे।

नशा नहीं, जीवन चुनने का संदेश दें: न्यायाधीश

राष्ट्रीय युवा दिवस पर डबरा के खड़बई में हुआ विधिक साक्षरता शिविर

भास्कर संवाददाता | डबरा

स्वामी विवेकानंद का जीवन आत्मसंयम और अनुशासन का आदर्श है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति होती है, जिसे नशा खोखला कर देता है। नशा न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ता है, बल्कि आर्थिक संकट और अपराध को भी जन्म देता है, जिससे कई हंसते-खेलते परिवार बिखर जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि राष्ट्र की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ गई, तो देश की उन्नति रुक जाएगी। यह बात न्यायाधीश विक्रम भार्गव ने कही। स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के गौरवमय अवसर पर सोमवार को तहसील विधिक सेवा समिति डबरा द्वारा ग्राम खड़बई और पीएम श्री शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं समिति के अध्यक्ष विक्रम भार्गव के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था।शिविर में नशे के विरुद्ध संकल्प दिलाने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। ग्रामीणों को बिना लाइसेंस, बीमा, हेलमेट और सीटबेल्ट के वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी गई।

स्वामी विवेकानंद जयंती पर विधि महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजित

नगर चिंगारी | अशोकनगर

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश श्री उपदेश कुमार राठौर, न्यायाधीश/सचिव श्री मनीष अनुरागी एवं डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसल श्री रफीक खान एवं विधि महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती गरिमा राठौर मेडम की उपस्थिति में सोमवार को विधि महाविद्यालय अशोकनगर में स्वामी विवेकानंद जयंती पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकगण, विधि के छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं उनके विचारों के स्मरण के साथ किया गया। शिविर में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों, युवाओं के प्रति उनके संदेश तथा समाज में जागरूकता की आवश्यकता पर

प्रकाश डाला।विधिक जागरूकता शिविर के अंतर्गत उपस्थित लोगों को मौलिक अधिकार, कर्तव्य, महिला एवं बाल संरक्षण कानून, निःशुल्क विधिक सहायता, उपभोक्ता अधिकार तथा दैनिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी दी गई। विधि के विद्यार्थियों एवं विशेषज्ञों द्वारा सरल भाषा में कानूनी प्रावधानों को समझाया गया तथा लोगों की समस्याओं पर परामर्श भी दिया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं को सही दिशा प्रदान करते हैं और ऐसे कार्यक्रम समाज को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित विद्यार्थीगण से कानून के प्रति जागरूक रहने एवं अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करने का आह्वान किया गया। योग प्रशिक्षक श्री शिव सिंह रघुवंशी एडवोकेट के मार्गदर्शन में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें महाविद्यालय परिवार के सदस्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा सूर्य नमस्कार में भाग लिया गया। इसके उपरांत रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम में महाविद्यालय परिवार के सदस्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा बढ़-चढ़कर भाग लिया गया।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL